108

COURT FEE INDIA TWO RUPEES

समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

1. महादेव प्रसाद तनय जगन्नाथ प्रसाद
निवासी- सिविल लाइन्स सागर
2. गिरजेश प्रसाद तनय दुर्गाप्रसाद सोनी
निवासी-सिविल लाइन्स सागर

--- अपीलान्टस्

:: बनाम ::

1. म०प्र० शासन द्वारा उपपंजीयक मुद्रांक
पथरिया तह० पथरिया जिला दमोह
2. ज्ञानचन्द तनय हरप्रसाद
निवासी बड़ा बाजार सागर
3. गोपालप्रसाद तनय गौरीशंकर मुखरैया
निवासी- ग्राम जालापुर तह० पथरिया जिला दमोह म०प्र०

--- रेस्पान्डेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 47 भारतीय मुद्रांक अधिनियम

उपरोक्त अपीलान्टस् श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्रथम अपील क्रमांक 549 बी/105 सन् 1998-99 में पारित आदेश दिनांक 13-12-2001 के विरुद्ध, जिसके द्वारा जिला पंजीयक मुद्रांक दमोह (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 86 बी/105/95-96 के आदेश दिनांक 3-2-1999 को यथावत रखा है, के विरुद्ध निम्नांकित आधारों पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत है :---

1. यह कि, विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर ने अपीलान्टस् द्वारा विवादित भूमि के मूल्यांकन को सिद्ध करने के भार के संबंध में जो आपत्ति उठाई थी, उस बिन्दु पर विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर ने कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला है । इस प्रकार विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि, विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर ने इस वैधानिक स्थिती को स्वीकार नहीं करने में भूल की है कि विक्रीत संपत्ति के मूल्य को सिद्ध करने का भार स्वयं उपपंजीयक मुद्रांक का होता है मात्र मूल्यांकन के संबंध में किसी कर्मचारी का प्रतिवेदन स्वयं साक्ष नहीं है इस संबंध में विद्वान अति० कमिश्नर ने 1992आर.एन. 1986 अनिल कुमार विरुद्ध म०प्र० शासन न्याय दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त

/2/...

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अपील

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक ~~निगरानी 657~~ 365–दो/2012 जिला–~~छतरपुर~~ दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
9.03.16	अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं अपीलार्थी को समय समय पर अवाज लगवाई गई, वैसे भी अपीलार्थी को आज दिनांक का नोटिस सर्व हो गया है । उसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुये । अतः अपीलार्थी के अनुपस्थि होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । सदस्य	